



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245131
CG-DL-E-12042023-245131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1623]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945

No. 1623]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का. आ. 1702(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1728(अ) तारीख 08.04.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में धामरा-हल्दिया पाइपलाइन (डिएचपिएल) (जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन के विस्तार के रूप में) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

6(1) अनुसूची

जगदिशपुर - हल्दिया एवं बोकारो -धामरा पाइपलाइन परियोजना

अनुभाग - धामरा से हल्दिया

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला	खण्ड	गांव	जे. ऐल. न	नक्शा	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल			
						हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर	एकड़
1	2	3	4	5	6	7			8
पश्चिम मेदिनीपुर	मोहनपुर	दिग्दा	343	आरएस	805	00	08	94	0.2000
पश्चिम मेदिनीपुर	मोहनपुर	सियालसाई	370	आरएस	1425	00	07	86	0.1944

[फा. सं. एल-14014/232/2022-जीपी-II(ई-45119)]

राकेश मिश्रा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 1702(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 1728(E) Dated 08.04.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dhamra-Haldia Pipeline (DHPL) as an expansion of Jagdishpur- Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL(India) Limited, free from all encumbrances.

6(1) LAND SCHEDULE

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT

DHAMRA TO HALDIA SECTION

State : West Bengal

District	Block	Mouza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area			
						Hec.	Are.	Sq.mtr.	Acre.
1	2	3	4	5	6	7			8
Paschim Medinipur	Mohanpur	Digda	343	R.S	805	00	08	94	0.2000
Paschim Medinipur	Mohanpur	Siyalsai	370	R.S	1425	00	07	86	0.1944

[F. No. L-14014/ 232/ 2022-GP-II) (E-45119)]

RAKESH MISHRA, Dy. Secy.